

MOST URGENT
VIDHAN SABHA MATTER
BY SPECIAL MESSENGER

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF INDUSTRIES
UDYOG SADAN, PLOT NO. - 419, FIE PATPARGANJ
INDUSTRIAL AREA, DELHI-110 092.

No F. DCI/QC/VS220/2017/ 358

Dated:08.08.2017

The Deputy Secretary (Question Cell),
Delhi Legislative Assembly,
Old Secretariat,
Delhi-110054

Sub : Vidhansabha admitted Unstarred Question No. 220 raised by Sh. Girish Soni to be answered on 10.08.2017.

Please find enclosed herewith 100 photocopies of the reply on the aforesaid matter along with one additional ink signed copy and soft copy of the answer in PDF further action at your end.

Enclosure : As above

Yours faithfully,



(SUNITA)

Deputy Commissioner of Industries (Question Cell)
Phone No. 22157026
comind@nic.in

Copy to :
The Deputy Director,
Directorate of Information & Publicity,
Block No. IX Old Secretariat,
Delhi-110054

**Please find enclosed herewith 150 copies
of the reply of the aforesaid Question for
further action at your end.**

विभाग का नाम :- कार्यालय आयुक्त उद्योग

विभाग का पता:- कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र, पटपड़गंज, दिल्ली-110092

अतारांकित प्रश्न संख्या : 220

दिनांक : 10/08/2017

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री गिरीश सोनी

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न सं.	प्रश्न	उत्तर
क	डी.एस.आई.आई.डी.सी.के शेड्स जनता को किस आधार पर दिये जाते हैं	अति लघु उद्योग चलाने हेतु आज से 25-40 वर्ष पूर्व 1977 एवम 1990 के बीच डी.एस.आई.आई.डी.सी.द्वारा शेड्स का आवंटन जनता को निम्न आधार पर दिया गया था : 1. प्रार्थी भारतीय नागरिक एवम दिल्ली का रहने वाले हों तथापि कम्युनिटी वर्क्स सेंटर से 5 किलो मीटर के दायरे में झुग्गी झोपड़ी निवासी को प्राथमिकता दी गई थी। इसके पश्चात् अन्य नागरिकों के आवेदन पर विचार किया गया । 2. प्रार्थी की उम्र 18 वर्ष या अधिक हो। 3. प्रार्थी की सभी स्रोतों से मासिक आय रू0 1500 प्रति माह से अधिक न हो। 4. वर्क्स स्पेसिस का आवंटन मात्र उन्हीं प्रार्थियों को किया गया था जो मास्टर प्लान 2001 में अंकित उद्योगों की स्थापना करने के इच्छुक थे। वह उद्योग प्रदूषण रहित एवं नुकसान न पहुंचाने वाले हो। 5. प्रार्थी को उस उद्योग को चलाने का अच्छा ज्ञान होना चाहिये । 6. प्रार्थी कब्जा लेने के 1 साल के अंदर उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हों। 7. वर्क्स स्पेसिस का 5 प्रतिशत एस.सी.एस.टी. के लिये तथा 5 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों तथा लड़ाई में मारे गये सैनिकों की विधवाओं के लिये रखे गये थे।
ख	मादीपुर विधान सभा में ऐसे कितने शेड्स हैं,	मादीपुर (ओल्ड) - कुल शेड संख्या 46 मादीपुर (न्यू) - कुल शेड संख्या 144
ग	क्या सभी शेड आवंटित किये जा चुके हैं	मादीपुर ओल्ड में एक वर्क स्थान, कार्यालय के उपयोग हेतु खाली है।
घ	यदि नहीं तो बेचे हुये शेडो की संख्या कितनी है, और	उपरोक्त
ड	डी.एस.आई.आई.डी.सी. के उन शेड की रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है?	शेडो के रखरखाव की जिम्मेदारी वहाँ के आवंटी/उनके वेलफेयर एसोसिएशन की है जिसकी सूचना उनको दी जा चुकी है।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ।

amr

(के.डी. डोगरा)

विशेष आयुक्त उद्योग